संख्या:-02/2025/आई-839123/001-537आ0/23-5002-002-93-2024
(कम्प्यूटर सं0-1871932)

प्रेषक,

नीरजा सक्सेना,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लो0नि0वि0, लखनऊ उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग:-5 **लखनऊ: दिनांक 01 जनवरी, 2025**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूंजीलेखा मद के लेखाशीर्षक 4059-80-051-18-00-24 "निरीक्षण भवनों एवं सर्किट हाउसों का विस्तार/निर्माण/जीर्णोद्धार के नये कार्य" के अन्तर्गत जनपद अयोध्या में कौशल्या घाट के निकट सर्किट हाउस (जी+3)मंजिल के भवन का निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ के अधोलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पत्र के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूंजीलेखा मद के लेखाशीर्षक 4059-80-051-18-00-24 "निरीक्षण भवनों एवं सर्किट हाउसों का विस्तार/निर्माण/जीर्णोद्धार के नये कार्य" के अन्तर्गत जनपद अयोध्या में कौशल्या घाट के निकट सर्किट हाउस (जी3) मंजिल के भवन का निर्माण कार्य हेतु कुल आगणन लागत रू0 1670.93 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष **रू0 250.00 लाख(रू0 दो करोड़ पचास लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर निम्नांकित तालिकानुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ का पत्रांक व दिनांक	जनपद	कार्य का नाम		आगणन की लागत	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4		5	6
						(धनराशि रू0 लाख में)
1	420जी/84(5)बी0पी0-विंग/2024, दिनांक 22.07.2024 एवं 3227/84(5)बी0पी0-विंग/2024, दिनांक 18.11.2024	अयोध्या	जनपद अयोध्या में कौशल्या घाट के निकट सर्किट हाउस (जी+3) मंजिल के भवन का निर्माण कार्य।। **कुल लागत रू0 1670.93 लाख।**	सिविल कार्य	1232.86	185.00
				विद्युत कार्य	438.07	65.00
			योग :-		**1670.93**	**250.00**

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत कार्य हेतु लो0नि0वि0 चयनित कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करेंगी।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्य की निविदा में प्राप्त बचत की धनराशि को सम्बन्धित अधिकारी द्वारा राजकोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा तथा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय।

(5) प्रायोजना में मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(6) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय, जिससे कास्ट रनओवर/टाइम रनओवर की स्थिति उत्पन्न न हो।

(7) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्कतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक, डाकघर, डिपाजिट खातें में नहीं रखी जायेगी।

(8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(9) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(10) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(11) उक्त धनराशि का व्यय/उपकरणों आदि का क्रय स्टोर परचेज रूल्स एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों व समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(12) प्रस्तावानुसार स्वीकृत कार्य हेतु आंकलित लागत में सम्मिलित लेबर सेस, मूल्य ह्रास निधि तथा जी0एस0टी0 आदि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षकों में जमा की जायेगी।

(13) वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(15) विद्युत/यांत्रिक कार्यों हेतु निर्गत की जाने वाली धनराशि को मुख्यालय, लो0नि0वि0 द्वारा संबंधित विद्युत/यांत्रिक खण्ड को ही आवंटित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 250,00,000(रूपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 055 लेखाशीर्षक 4059800511800 निरीक्षण भवनों एवं सर्किट हाउसों का विस्तार/निर्माण/जीर्णोद्धार के नये कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न सं0-E-8-473-X-2024-25-दिनांक 10-12-2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

भवदीया,
नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव

संख्या:-02/2025/आई-839123/001-537आ0(1)/23-5-2024-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
4- नोडल अधिकारी, बजट, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
5- जिलाधिकारी अयोध्या।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
8- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अयोध्या।
9- मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
10- मुख्य अभियन्ता,अयोध्या क्षेत्र, लो0नि0वि0, अयोध्या।
11- अधीक्षण अभियन्ता, अयो0अ0 वृत्त, लो0नि0वि0, अयोध्या।
12- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, अयोध्या।
13- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
जूली दुबे
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।